न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राज0)

अपील संख्याः– 12/09/2024 रजू दिनांकः 05.01.2024 रजि0 न0 2024/9

अपीलार्थीः–

श्री हरिमोहन जांगिड पुत्र श्री घनश्याम जांगिड, निवासी ग्राम पोस्ट व तहसील मलारना डूंगर, जिला सवाईमाधोपुर–322028 (राजस्थान)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर, जिला अलवर (राजस्थान) 301001

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 29.01.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 13.10.2023 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वॉंछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 15.01.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये प्रतिलिपि पत्र क्रमांक लो0सू0अ0/प्रथम अपील/सम/107 दिनांक 12.01.2024 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील नोटिस के अनुसरण में वांछित सूचना के क्रम में कार्यालय अभिलेख में जांच कराये जाने पर बिन्दु सं02 अन्तर्गत संदर्भित शिकायत प्रा0पत्र 28.06.2022 इस कार्यालय को प्राप्ति का अभाव पाया गया, बिन्दु सं0 1 में वांछित विवाह पंजीयन के संबंध में जानकारी प्राप्त किये जाने पर प्रभारी अधिकारी (कोर्ट) कलक्ट्रेट, अलवर के पत्रांक कोर्ट/2024/16 दिनांक 04.01.2024 से प्राप्त सूचनानुसार विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत विवाह पंजीयान किया जाना नहीं पाया गया। अतः सूचना शून्य में है। प्रकरण में कार्यालय द्वारा विनिश्चय कर सूचना प्रेषित की जा चुकि है। प्रश्नगत सूचना अन्य सूचना आवेदन दिनांक 13.10.2023 एवं प्रथम अपील प्रा0पत्र दिनांक 23.11.2023 के संबंध में अपील प्र.सं. 12/138/2023 अन्तर्गत भी जरिये पत्रांक 44–45 दिनांक 08.01.2024 पंजीकृत–पत्र के माध्यम से सूचित किया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रकरण का विनिश्चय कर अपील अपीलार्थी को जवाब उपलब्ध कराया जा चुका है अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 29.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)